

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3242/2022

दिनांक : 21.10.2022

श्रीमती लोचन खडिया देवल (RJ0936), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा को दिनांक 25.08.2022 से 27.08.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 28.08.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती देवल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/105/2015/7190

दिनांक 21.10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 7213 दिनांक 01.09.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती लोचन खडिया देवल (RJ0936), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भीलवाड़ा ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ।

सहायक रजिस्ट्रार